योजना की स्वीकृति

- इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु एक शेयर पूंजी अनुदान स्वीकृति समिति (ई जी एस सी) का गठन किया जाएगा।
- समिति में 4 सदस्य होंगे तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे।
- शेयर पूंजी अनुदान प्रत्येक किसान उत्पादक कंपनी के लिए 10 लाख रुपए की अधिकतम ऊपरी सीमा के अधीन नगद सहायता के रूप में होगा।
- यह राशि किसान - उत्पादक कंपनी में शेयर धारकों की शेयर पूंजी की राशि के बराबर होगी।
- स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान को किसान - उत्पादक कंपनी के बैंक खाते में सीधे अंतरित किया जाएगा।
- शेयरपूंजी अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 45 दिन के अंदर किसान - उत्पादक

SFAC
लघु कृषक

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 5वीं मंजिल,
3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
फोन: +91-11-41686767
ईमेल: sfac@nic.in | वेबसाइट: www.sfacindia.com

SFAC
लघु कृषक

किसान उत्पादक कंपनी के लिए शेयर पूंजी अनुदान निधि (ईजीएफ) योजना

क्या है शेयर पूंजी अनुदान निधि

- शेयर पूंजी अनुदान निधि, किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े किसानों को सशक्त बनाने हेतु एक केंद्रीय योजना है।
- इस योजना को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा संचालित किया जाता है।
- यह योजना किसान उत्पादक कंपनियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना पात्र किसान - उत्पादक कंपनी के शेयर धारक सदस्यों को शेयरपूंजी अंशदान के बराबर राशि अनुदान में प्राप्त करने में समर्थ बनाती है।
- यह किसान - उत्पादक कंपनी के समक्ष पूंजी आधार में वृद्धि करती है।
- यह योजना नए व उभरते हुए किसान - उत्पादक कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।

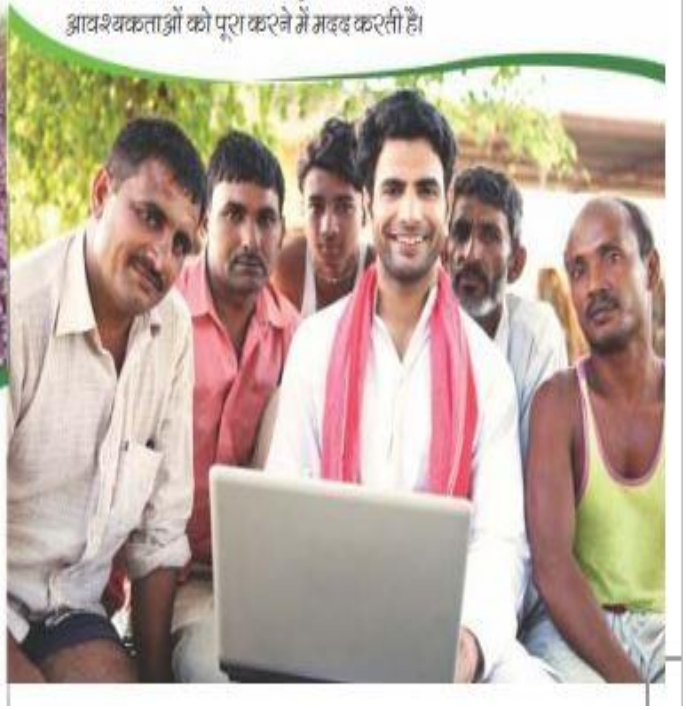

शेयर पूंजी अनुदान निधि के उद्देश्य

- किसान - उत्पादक कंपनियों को व्यापार हेतु सक्षम बनाना।
- ऋण हेतु किसान-उत्पादक कंपनियों की उपयुक्तता में बढ़ोत्तरी करना।
- किसान-उत्पादक कंपनी के सदस्यों के स्वामित्व एवं भागीदारी में वृद्धि को सुनिश्चत करना।
- किसान-उत्पादक कंपनी के सदस्यों के स्वामित्व एवं भागीदारी में वृद्धि को सुनिश्चित करना।

योजना हेतु किसान - उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड

- किसान - उत्पादक कंपनी विधिवत रूप से भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के भाग 9 (ए) के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- संस्था के अंतर्नियमों / उप नियमों में दिए प्रावधानों के अनुसार सदस्यों से शेयर पूंजी जुटायी गई हो।
- इसके व्यक्तिगत शेयर धारकों की संख्या 50 से कम न हो।
- इसकी संदत्त शेयर पूंजी 30 लाख रूपए से अधिक न हो।
- न्यूनतम 33 प्रतिशत शेयर धारक छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसान होने चाहिए।
- संस्थानिक सदस्य से भिन्न किसी एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की अधिकतम संख्या किसान-उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी संस्थानिक सदस्य द्वारा धारित शेयर की अधिकतम संख्या किसान - उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
- निदेशक मंडल (बी ओ डी) में कम से कम 5 सदस्य हो तथा अनिवार्य रूप से एक महिला सदस्य भी हो।
- एक प्रबंध समिति, जो किसान - उत्पादक कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार हो।
- अगले 18 महीनों के लिए संपोषणीय राजस्व प्रतिमान पर आधारित एक कारोबार योजना एवं बजट हो।
- किसी अनुसूचित बैंक में किसान - उत्पादक कंपनी का खाता हो।
- न्यूनतम, एक पूर्ण वित्त वर्ष के लिए किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा लेखा परीक्षित लेखा-विवरण हो।

शेयरपूंजी अनुदान निधि के लिए आवेदन की प्रक्रिया -

- आवेदन के लिए शेयर धारक सूची तथा सदस्यों के शेयर पूंजी अंशदान का विवरण किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा सत्यापित व प्रमाणित होना चाहिए।
- कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पूंजी अनुदान प्राप्त करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि। इस प्रस्ताव को भविष्य में होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में सत्यापित किया जाना होगा।
- शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित बैंक खाता विवरण की छायाप्रति का होना अनिवार्य है।
- अगले 18 महीनों के लिए किसान - उत्पादक कंपनी के कारोबार योजना एवं बजट का होना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र तथा संलग्न सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर किसान - उत्पादक कंपनी के कम से कम दो बोर्ड सदस्यों या अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।